

<b>कार्यालय</b>	<b>मुख्य</b>	<b>अग्निशमन</b>	<b>अधिकारी</b>	<b>जनपद</b>	<b>खीरी।</b>
पत्राकःएफएस./अ०स०व्य०/वी/सु०नि०-५५/२०२२				दिनांक: जुलाई २१, २०२२	

सेवा में,

स्वामी/प्रबंधक,  
आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल,  
मुरार खेडा, सम्पूर्णानगर रोड, पलिया-खीरी।

कृपया आपके संस्थान आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, मुरार खेडा, सम्पूर्णानगर रोड, पलिया-खीरी के अग्निशमन व्यवस्था का निरीक्षण एलएफएम राष्ट्रेश्याम पाल द्वारा कराया गया।

**उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था—**

१—ए०वी०सी० फायर एक्सटिग्युशर क्षगता—९ किग्रा० १० अद्द।

२—ए०वी०सी० फायर एक्सटिग्युशर क्षगता—४ किग्रा० ४ अद्द।

**सुरक्षा निर्देश—**

१—आवेदक/स्वामी/प्रबंधक को नेशनल बिल्डिंग कोड २०१६ के पार्ट-३ व पार्ट-४ में उल्लिखित समस्त ढौँचागत एवं अग्निशमन व्यवस्था कराकर शासनादेश संख्या—१७६५/छ:पु०-८-२०१७-९०५(३४)/२०१६ दिनांक: फरवरी १६, २०१८ में निहित निर्देशों का अनुपालन किया जाना चांचनीय/अनिवार्य होगा।

२—नेशनल बिल्डिंग कोड २०१६ के अनुसार संस्थान में सेटबैक व पहुँच मार्ग तथा पलायन मार्ग चांचनीय है।

३—विद्यालय में ३० भीटर की दूरी पर ५००० हजार लीटर टैरिस टैंक व ४५० एलपीएम टैरिस पम्प से कनेक्ट करके अधिष्ठापित किया जाना चांचनीय है।

४—संस्थान में मैनुअली इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम अधिस्थापित किया जाना चांचनीय है।


५—संस्थान में स्थापित/चांचनीय अग्निशमन व्यवस्थाओं को कराने के बाद में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलग्व स्थानीय अग्निशमन केन्द्रों की जाये तथा अविलम्ब पाई गयी त्रुटि का निवारण किया जाये।

६—प्रत्येक माह में एक बार विद्यालय में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉकड्रिल/फायर ड्रिल कराई जाये तथा इमर्जेन्सी इवाकुएशन प्लान बनाया जाये इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान किया जाये।

७—वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीव रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने के सम्बन्ध में निरीक्षण कराया जाये।

८—संस्थान में स्थापित/चांचनीय अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण फायर फाइटिंग सिस्टम अपूर्ण एवं अकार्यशील दशा में पाये जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी/प्रबंधक का होगा।

स्वामी/प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, मुरार खेडा, सम्पूर्णानगर रोड, पलिया-खीरी में उपलब्ध चंचनीय एवं ढौँचागत अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को कार्यशील दशा में बनाये रखने का उत्तरदायित्व स्वामी/प्रबंधक का स्वयं का होगा।

  
 (मुकेश हुक)  
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
 अग्निशमन अधिकारी  
 जनपद-खीरी

प्रतिलिपि—अग्निशमन अधिकारी पलिया, खीरी को सूचनार्थ प्रेषित।